

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
शुक्रवार, 24 दिसम्बर, 2021 / 03 पौष, 1943 (शक)

संख्या- 66

विषय: सातवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र के चतुर्थ भाग के दौरान विधान सभा परिसर में प्रवेश हेतु अनिवार्य टीकाकरण।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ओमिक्रॉन वैरिएंट के उद्भव एवं कोविड-19 मामलों में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि आगामी दूसरे सत्र के चतुर्थ भाग की बैठकों के दौरान माननीय सदस्यों के साथ आने वाले व्यक्तियों का भी पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य है अर्थात् वे कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हों, अथवा अपवाद स्वरूप, दिनांक 03 जनवरी 2022 को सत्र आरंभ होने के 48 घंटे पूर्व कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जाँच में निगेटिव पायें गए हों। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सत्यापन के लिए उनके कोविड-19 वैक्सीन प्रमाण-पत्र या कोविड-19 की आरटी-पीसीआर की जाँच रिपोर्ट, भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में, साथ लायें।

साथ ही, माननीय सदस्यों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि जब तक आधिकारिक कारणों से आवश्यक न हो, माननीय सदस्य अपने साथ आगंतुकों को लाने से बचें। माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी आवश्यक उपाय करें जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, बार-बार हाथ साफ कराना आदि ताकि कोविड-19 मामलों के किसी भी संभावित प्रसार से बचा जा सकें।

राज कुमार
सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Friday, 24 December 2021 / 03, Paush, 1943 (*Shaka*)

No. 66

Sub: Mandatory Vaccination for entry in Assembly Complex during Fourth Part of Second Session of Seventh Legislative Assembly.

Keeping in view the emergence of Omicron variant and persistent rise in COVID-19 cases in NCT of Delhi, it is informed that Hon'ble Speaker has directed that the persons accompanying Hon'ble Members during the sittings of ensuing Fourth Part of Second Session must also be fully vaccinated i.e. have taken two doses of COVID-19 Vaccine or otherwise in exceptional cases tested negative for COVID-19 (RT-PCR) not earlier than 48 Hours prior to the commencement of session on 03.01.2022. Hon'ble Members are requested to carry their COVID-19 Vaccine Certificates or COVID-19 (RT-PCR) test report in physical or electronic format for verification.

Further, it is also advised that Hon'ble Members should avoid bringing alongwith them visitors unless it is required for official reasons. Hon'ble Members are also requested to take all requisite measures for strict compliance of COVID-19 Appropriate Behaviour viz. social distancing, wearing of masks, frequently hand sanitizing etc. so as to avoid any possible further surge in COVID-19 cases.

Raj Kumar
Secretary